Title: Need to accord clearance to the proposal of Uttar Pradesh Government to strengthen the U.P.-Nepal Border Police for checking illegal activities along Indo-Nepal Border-laid.

MR. SPEAKER : Hon. Members, Matters under Rule 377 listed for the day be treated as laid on the Table of the House.

श्री रामदा्स आठ्वले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोद्य, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट 377 है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोद्य : आप हाउ्स को डि्स्ट्र्ब कर रहे थे तो क्या करें।

...(Interruptions)

1620 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 *

श्री बृज माण शरण सिंह (गोंडा): भारत-नेपाल अन्तर्राट्रीय खुली सीमा आई.एस.आई. व राट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में स्वविधिक संवेदनशील सीमा है। इस सीमा के सीमावर्ती क्षेत्र में ढंग से नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से माह अप्रेल, 1997 में उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पुलिस का गठन किया गया है। चूंकि यह एक अन्तर्राट्रीय सीमा है अतः इस पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण तथा रख-रखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि, भारत सरकार द्वारा किया गया है। जिसका कुल योग एक अर्ब सत्ताईस करोड़, छः लाख इक्कीस हजार रूपया मात्र है। उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति हेतु वि्स्तृत कार्य योजना तैयार करके उ0प्र0 शासन ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सेजी है, जो स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से आ्ये प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करों

* Treated as laid on the Table of the House.